न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/90/2015

श्रीमती विजय लक्ष्मी उर्फ भौरी देवी पुत्री स्व0 श्री माधोलाल पत्नी श्री घनश्याम खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर जिला जयपुर ससुराल का पता बी–27, ग्रीन पार्क राजेश कोच के पीछे, विजय लक्ष्मी कुंज (राधे–राधे) पालडी मीणा आगरा रोड जयपुर।

.....वादीया

बनाम

1. ओमप्रकाश खण्डेलवाल पुत्र स्व0 श्री माधोलाल खण्डेलवाल जाति महाजन
2. कैलाश चन्द पुत्र स्व0 श्री माधोलाल खण्डेलवाल जाति महाजन
3. श्रीमती मनभर देवी पत्नी स्व0 श्री माधोलाल खण्डेलवाल जाति महाजन समस्त निवासी प्लाट नम्बर 171 विनोभा विहार मॉडल टाउन मालवीय नगर जयपुर।
4. श्रीमती कांति देवी पुत्री स्व0 श्री माधोलाल खण्डेलवाल पत्नी श्री ओमप्रकाश नाटाणी जाति महाजन, निवासी नाटाणी भवन मिश्र राजा का रास्ता छोटी चौपड़ के पास जयपुर।
5. श्रीमती संतोष देवी पुत्री स्व0 श्री माधोलाल खण्डेलवाल पत्नी श्री रमेश चन्द अग्रवाल जाति महाजन निवासी जगदीश महाराज के मन्दिर के पीछे गौनेर तहसील सांगानेर विमलपुरा वाले जिला जयपुर।
6. श्रीमती सुशीला गंगवार पत्नी श्री रवीन्द्र सिंह जाति क्षत्रिय निवासी मकान नम्बर 934 से.–7 पुष्प विहार नई दिल्ली।
7. श्रीमती अंजली सिंह पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह जाति क्षत्रिय निवासी मकान न।म्बर 173 से.2 राज नगर गाजियाबाद यू0पी0।
8. रामप्यारी देवी पत्नी श्री गोपाल लाल सैनी निवासी मकान नम्बर 160/42 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर।
9. श्रीमती मनभर देवी पत्नी श्री सत्यनारायण खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 1/540, मालवीय नगर जयपुर।
10. श्रीमती रेखा शर्मा पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा निवासी प्लाट नम्बर 8 रंग विहार जगतपुरा जयपुर।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

11. तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक–

वादीया की ओर से न्यायालय हाजा में वाद बाबत् घोषणा, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय के साथ पेश किया गया कि राजस्व ग्राम सिरोली, तहसील व जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2993, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3086, 3087, 3088, 3089 कुल किता 10 कुल रकबा 2.61 हैक्टेयर वादीया के पिता माधो सिंह पुत्र श्री श्योनाथ की खातेदारी भूमि हैं। जिनकी मृत्यु दिनांक 28/4/2015 को हो गई परन्तु वादीया के भाई उसकी खातेदारी भूमि में उनका विरासत का नामान्तकरण दर्ज ना कराकर भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू हैं। जिस पर भूमि के समस्त रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को पक्षकार बनाते हुये वाद प्रस्तुत किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आयें। प्रतिवादी संख्या 8 के नोटिस पर दिनांक 16/10/2015 को प्रतिवादी की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। जिस पर वादीया द्वारा दिनांक 19/05/2016 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया। जिसका जवाब अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 20/7/2016 व 24/05/2016 को प्रस्तुत किया गया।उसके पश्चात जवाब प्रार्थना पत्र के ऑब्जेक्शन को देखते हुये प्रार्थी द्वारा दिनांक 31/5/2018 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 नोट प्रेस के आधार पर खारिज करा लिया। उसके उपरान्त वादीया द्वारा दिनांक 04/6/2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया। जिसमें निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 8 रामप्यारी देवी का स्वर्गवास वाद दायरी से पूर्व हो चुका हैं। जिनकी मृत्यु की जानकारी नही होने पर उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके विधिक वारिसान् को आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 12, 13, 14, 15 के रूप में प्रतिस्थापित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 8 का नाम हजफ किया जावें। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने गलत तथ्यों के

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

आधार पर मृतक व्यक्ति के विरूद्ध वादकारण अंकित करते हुये वाद प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात जवाब के कथनो के मध्यनजर प्रार्थना पत्र नोट प्रेस कर लिया व उसके एक वर्ष पश्चात् प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया हैं। ऐसी स्थिति में वादीया का वाद मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने से बार्ड बाई लॉ है जो खारिज किये जाने योग्य हैं।

प्रार्थीया/वादीया अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र के कथनो को दौहराते हुये कथन किया कि वादीया द्वारा जमाबन्दी के आधार पर वाद प्रस्तुत किया हैं। जिस पर प्रतिवारदी संख्या 8 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थी। जिनकी मृत्यु की जानकारी नही थी, जिसके नोटिस पर उसकी मृत्यु की सूचना होते ही आदेश 22 नियम 4 प्रस्तुत किया गया जो उसके द्वारा नोट प्रेस कर लिया गया अब आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया गया हैं। शेष प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र का विरोध करने का कोई अधिकार नही है। ऐसे में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जायें।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा उनके कथनो का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि वादीया द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया हैं, जो पूर्णतः बार्ड बाई लॉ है जो सर्वप्रथम उनके द्वारा आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसका जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हो जाने के पश्चात उसे नोट प्रेस में खारिज करा लिया। उसके उपरान्त एक वर्ष पश्चात् उक्त आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया हैं। चूँकि दावा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत हैं। ऐसी स्थिति में दावा खारिज किये जाने योग्य हैं। आगे उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा केवल मात्र विरासत के नामान्तकरण को दर्ज नही करने का कथन करते हुये वाद प्रस्तुत किया हैं जो माननीय न्यायालय तहसीलदार को निर्देशित कर प्रकरण का निस्तारण करा सकती हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद पूर्णतः विधि विधान के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद एवं वाद के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। वाद के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीया द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है एवं उसके पश्चात् भी सर्वप्रथम आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसको स्वयं ने खारिज करा लिया। उसके उपरान्त आदेश 1

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। वादीया के प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उनके पिता माधोलाल पुत्र श्योनाथ की विरासत के संबंध में घोषणा चाही गई हैं। जबकि अभी तक उनकी विरासत का नामान्तकरण दर्ज नही हुआ हैं। वादीया द्वारा अपने वाद के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया हैं। जिससे कि तहसीलदार द्वारा विरासत में उनका नाम दर्ज करने से इन्कार किया हो, केवल मात्र अन्देशे के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया हैं। वादीया के अनुतोष खण्ड ''क'' में मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर प्लीड चाही गई है एवं ''ख'' में स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया हैं। जबकि भूमि का विभाजन रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के मध्य किया जा सकता हैं। वादीया अभी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नही हैं। ऐसी स्थिति में वादीया का प्रार्थना पत्र एवं वाद प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतः वादीया का वाद एवं प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी खारिज किया जाता हैं। परन्तु न्यायहित में तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वादीया के पिता माधोलाल पुत्र श्योनाथ के समस्त वारिसान् की जांच कर विधि अनुसार नामान्तकरण की कार्यवाही करें। वादीया राजस्व रिकार्ड में विरासत का नामान्तकरण दर्ज हो जाने के पश्चात् विधि अनुसार विभाजन का वाद पुनः प्रस्तुत कर सकती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

आदेश आज दिनांक 10.12.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.01.17 12:59:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: